



संख्या: लवाम/छा/छाक/(चार)-1/10-11/1-204

दिनांक: 28 जुलाई, 2011

**सूचना**  
**बी0 आर्क0 प्रथम वर्ष 2011-12**


संकाय में बी0आर्क0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संकाय में दिनांक 16 अगस्त, 2011 को प्रातः 11.00 बजे से नवप्रवेशित छात्रों के 'प्रवेश एवं पंजीयन' का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। संस्था में प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्था की वेबसाइट में डाउनलोड लिंक पर उपलब्ध '*Ordinances for Faculty of Architecture*', '*Rules & Regulation for College*' तथा '*Code of Conduct and Discipline for Students at Hostel*' को अच्छी तरह पढ़ लें। सभी अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे संस्था की वेबसाइट ([www.foa.uptu.ac.in](http://www.foa.uptu.ac.in)) में डाउनलोड लिंक के अर्न्तगत उपलब्ध **FORMS** लिंक में से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्रों को डाउनलोड करके उन पर अपना आवेदनपत्र वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विधिवत् रूप में भरकर दिनांक 16 अगस्त, 2011 को संस्था के कार्यालय में उपस्थित हों:

1. Student's Annual Registration Form.
2. Application Form for Hostel Allotment. (यदि छात्रावास की सुविधा चाहिए)
3. Application Form for Identity Card
4. Application Form for Library Cards

उपरोक्त अभ्यर्थी संस्था में दिनांक 16 अगस्त, 2011 को पंजीयन की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित अन्य अभिलेख भी अपने साथ लायेंगे:

1. UPSEE-2011 से प्राप्त **Seat Allotment Letter** (मूल रूप में)
2. UPSEE-2011 की काउन्सिलिंग के समय जमा फीस की रसीद (मूल रूप में)
3. हाई-स्कूल के प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका (मूल रूप में तथा उनकी एक सत्यापित प्रति)
4. इण्टरमीडिएट के अंकतालिका (मूल रूप में तथा उनकी एक सत्यापित प्रति)
5. नोटरी से सत्यापित, निर्धारित आशय का शपथपत्र (*Format for Affidavit* संकाय की वेबसाइट पर उपलब्ध)
6. पूर्व महाविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत माइग्रेसन प्रमाणपत्र/टी0सी0 (मूल रूप में)
7. अभ्यर्थियों के पासपोर्ट साइज के आठ नये खिंचे हुए रंगीन फोटोग्राफ
8. अवशेष फीस के बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ के नाम से लखनऊ में देय होने चाहिए, (*in favour of Principal, Lucknow College of Architecture payable at Lucknow*) अवशेष फीस का विवरण संकाय की वेबसाइट पर उपलब्ध है)
9. जाति (मूल रूप में), तथा आय प्रमाणपत्र (1 अप्रैल 2011 के बाद जारी, मूल रूप में) (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/बी पी एल अभ्यर्थियों के लिये)

इसके अतिरिक्त बी0आर्क0 प्रथम वर्ष में नवप्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग/बी पी एल एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अर्न्तगत जिला समाज कल्याण विभाग अथवा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए नियमानुसार सम्बन्धित शासनादेशों के अर्न्तगत छात्रवृत्ति पाने के लिए सुपात्र हैं तथा निर्धारित सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों को पूरा करते हैं, संस्था की सूचना संख्या- लवाम/छा-छाक/(चार)-1/11-12/1-203, दिनांक- 28 जुलाई, 2011, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करेंगे।

  
(प्रो० मुकुल सिंह)  
प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता